



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 60

राँची : 30/1/2026

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा-काण्ड्रा, पो0-काण्ड्रा में अवस्थित एकीकृत स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 34.83 हे0 वनभूमि (86.07एकड़) अपयोजन की स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या- FP/JH/IND/116046/2020

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा परिवेश पोर्टल 1.0 के माध्यम से सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा-काण्ड्रा, पो0-काण्ड्रा में अवस्थित एकीकृत स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित 34.83 हे0 वनभूमि (86.07एकड़) अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/IND/116046/2020) समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 758 दिनांक 20.06.2025 द्वारा ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसमें पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन/अभिलेख अपलोड करने हेतु प्रस्ताव वापस किया गया था। उक्त पृच्छाओं का निराकरण करते हुए पुनः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 1529 दिनांक 06.12.2025 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है। :-

प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर-वनभूमि का रकबा निम्नवत् है :-

क्रमांक	वन प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा (हे0 में)		प्रस्तावित गैर-वनभूमि का रकबा(हे0 में)
		सुरक्षित वनभूमि	जंगल-झाड़ी भूमि	
1.	सरायकेला वन प्रमण्डल	32.29	2.54	87.45 हे0
	कुल -	34.83 हे0		87.45 हे0

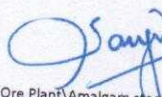
1. प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल-122.28 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 34.83 हे0 वनभूमि एवं 87.45 हे0 गैर वनभूमि सन्निहित है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में Form-A Part-I में आवेदन online समर्पित किया गया है, जिसकी Hard Copy संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।

Sanyal
30/1/2026

3. ऑनलाईन प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा (हे० में)	कुल रकबा (हे० में)	वनस्पति घनत्व	इको-क्लास
1	सरायकेला	32.29	2.54	34.83	0.2	3
	कुल-	32.29	2.54	34.83		

4. विहित प्रपत्र-पार्ट-I में वनभूमि एवं गैर-वनभूमि का Villages wise breakup दर्शाया गया है।
5. विहित प्रपत्र-पार्ट-I में वनभूमि एवं गैर-वनभूमि का Component wise breakup दर्शाया गया है।
6. ऑनलाईन प्रस्ताव में Authorisation letter अपलोड किया गया है।
7. ऑनलाईन प्रस्ताव में Justification अपलोड किया गया है।
8. ऑनलाईन प्रस्ताव में KML अपलोड किया गया है।
9. ऑनलाईन प्रस्ताव में वनभूमि एवं गैर-वनभूमि का Authenticated Land schedule अपलोड किया गया है।
10. ऑनलाईन प्रस्ताव में 1:50,000 स्केल के टोपोशीट संख्या-F4511 में लोकेशन दर्शाते हुए अपलोड किया गया है।
11. ऑनलाईन प्रस्ताव में Geo Referenced Map अपलोड किया गया है।
12. ऑनलाईन प्रस्ताव में मौजा मैप में प्रस्तावित वनभूमि का आरेखन दिखाते हुए मैप प्रस्ताव के अपलोड किया गया है।
13. ऑनलाईन प्रस्ताव में Cost-Benefit analysis अपलोड किया गया है।
14. ऑनलाईन प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति अपलोड किया गया है।
15. ऑनलाईन प्रस्ताव में FRA, Act, 2006 के तहत वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी वनभूमि का संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र बचनबद्धता अपलोड किया गया है।
16. ऑनलाईन प्रस्ताव में Area Calculation Statement अपलोड किया गया है।
17. ऑनलाईन प्रस्ताव में Undertaking in respect of NPV, Addl NPV, CA अपलोड किया गया है।
18. ऑनलाईन प्रस्ताव में Certificate for Minimum Use of Forest Land अपलोड किया गया है।
19. ऑनलाईन प्रस्ताव में Village wise area calculation statement अपलोड किया गया है।
20. ऑनलाईन प्रस्ताव में विहित प्रपत्र-पार्ट-II में सरायकेला वन प्रमंडल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर की अनुशंसा अपलोड किया गया है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी अपलोड किया गया है।
21. ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाली वृक्षों की गणना सूची विहित प्रपत्र- I के अनुसार एवं विहित प्रपत्र-पार्ट-II अपलोड सूची के अनुसार प्रभावित होने वाली कुल वृक्षों की संख्या-424 अंकित किया गया है।
22. ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट-II की कंडिका-6 में सरायकेला वन प्रमंडल द्वारा अंकित किया गया है कि "The forest land proposed for diversion is very moderately vulnerable to erosion."
23. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सरायकेला वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है।
24. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सरायकेला वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं हाथी गलियारा एवं वन्यजीव प्रवास गलियारा आदि के 1 कि०मी० के भीतर अवस्थित नहीं है।

 30/01/2020

25. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सरायकेला वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अन्तर्गत अवस्थित नहीं है।
26. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सरायकेला वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों एवं जीवों का दुर्लभ/लुप्तप्राय/अद्वितीय प्रजाति पाई जाती है।
27. इस परियोजना प्रस्ताव का CWLW का मंतव्य अप्राप्त है। इस हेतु प्रस्ताव की एक प्रति के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची भेजी जा रही है। मंतव्य प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
28. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सरायकेला वन प्रमण्डल द्वारा विहित प्रपत्र Form-A, पार्ट-II के कंडिका -11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण एवं संमवर्धन) अधिनियम के तहत दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया गया है। उक्त उल्लंघन में 0.809 हे० वनभूमि का क्षेत्रफल शामिल है। तथा उल्लंघन मामला का शिकायत केस संख्या-582/2022 द्वारा दर्ज किया गया है।

उल्लंघन के लिए जिम्मेदार सदस्य के खिलाफ की गई कार्रवाई की विवरणी निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

तिलोपाड़ा गांव के वन प्लॉट संख्या-59, 60, 122 की 2 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के खिलाफ केस संख्या- 582/2022 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण के खिलाफ बीपीएलई केस संख्या-03/2022-23 के तहत अतिक्रमण का मामला लंबित है। इसलिए प्रयोक्ता अभिकरण पर पेनाल्टी एन०पी०भी० लगाई जा सकती है।

29. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु 34.83 हे० अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण के लिये समतुल्य गैर-वनभूमि 36.16 हे० चिन्हित किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र सं	प्रमण्डल का नाम	मौजा का नाम/ अंचल /थाना नं०	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1	गुमला वन प्रमण्डल	कामता/ सिसई/ 45	01	409,410,411,450,451 एवं 452	7.56
2		सलम/ सिसई/ 59	05	634, 635, 645 ,646	4.92
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	बनमाकड़ी/ घाटशिला/ 1019	92	2233(प०), 2234, 2237(प०), 2240,2245, 2249 ,2250, 2251,2252, 2255	5.45
			95	2247 (प०)	
4	सरायकेला वन प्रमण्डल	हेसालोंग/ कुड़कु/ 103	149	1(प०), 4, 5(प०), 6, 7, 14,15,16,17, 18 (प०), 19, 20, 21, 22, 23(प०), 24, 29(प०), 31, 32(प०), 33(प०), 34, 35, 36(प०), 38, 43, 44(प०), 45(प०), 103,104(प०),105, 1912(प०),	20.23
कुल योग:-					38.16 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का DGPS, KML file, टोपोशीट सं०- F45A12, F45I11 F45C4, मौजा मैप, संबंधित वन प्रमण्डल का उपयुक्तता प्रमाण एवं दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन अपलोड किया गया है।

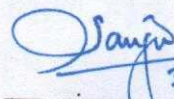
30. ऑनलाईन वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव हेतु संबंधित वन प्रमण्डल पदा०, सरायकेला एवं वन संरक्षक, जमशेदपुर का अनुशंसा (Recommendation) अपलोड किया गया है।

(Signature)
30/01/2024

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर से प्राप्त ऑनलाईन संशोधित प्रस्ताव की पार्ट-IV भरकर प्रस्ताव की तीन-तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।
अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,


30/01/2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

AMALGAM STEEL & POWER LIMITED 34.83 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

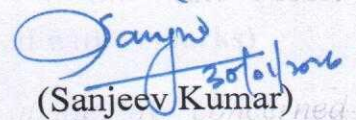
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 34.83 ha of Forest land.

Date :-

Place :- Ranchi

Signature


(Sanjeev Kumar)

Nodal Officer

Name & Designation

PCCF-Cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

(वन भवन, सोनारी, जमशेदपुर-831011)

दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स - 0657-2223430, ई-मेल - cf-jamshedpur@gov.in

जहाँ है हरियारी
वहाँ है खुशाली

पत्रांक : 1529

दिनांक : 06-12-2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

-सह-

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा सरायकेला वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा-काण्डा स्थित एकीकृत स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 34.83 हे० (86.07 एकड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या-(FP/JH/IND/116046/2020)

1. आपका पत्रांक 596 दिनांक 15.07.2025
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला का पत्रांक 2611 दिनांक 02.12.2025 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक वनभूमि अपयोजना प्रस्ताव पर भवदीय द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला के स्तर से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है:-

क्रमांक	पृच्छित विन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन
1	ऑनलाईन प्रस्ताव में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का Authenticated Land Schedule अपलोड नहीं किया गया है।	Authenticated Land Schedule परिवेश पोर्टल पर Upload कर दिया गया है, अनु०-12
2	ऑनलाईन प्रस्तावित वनभूमि का एरिया 34.83 हे० है, जबकि विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट 1 में Uploaded KML में lease area-34.60 हे० है, दोनों में भिन्नता है।	अपयोजित होने वाले वनभूमि 34.83 हे० एरिया का KML File एवं GPS Co-ordinates परिवेश पोर्टल पर Upload कर दिया गया है, अनु०-01
3	ऑनलाईन प्रस्ताव विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट 1 में सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट के स्थान पर Vill Geo-Reference Map Uploaded किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Form-A में सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट Upload कर दिया गया है, अनु०-02
4	ऑनलाईन प्रस्ताव में Component wise breakup Uploaded नहीं किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Component wise breakup, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु०-03
5	ऑनलाईन प्रस्ताव में Uploaded Cost Benefit analysis file नहीं खुल रहा किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Uploaded Cost Benefit Analysis, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु०-04

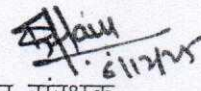
6	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित मौजा-सलम का पैच 5.00 हे० से कम है, जो स्वीकार्य नहीं है।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित मौजा-सलम का रकवा-5 हे० से अधिक है। इस संदर्भ वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) निर्गत किया गया है अनु०-05
7	CO द्वारा समर्पित land schedule में प्रस्तावित कुछ भूमि खतियान में उपलब्ध नहीं है। साथ ही ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस संदर्भ में Undertaking समर्पित किया गया है अनु०-06
8	प्रस्ताव में संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत FRA Certificate & GM JJ NOC ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस संदर्भ में Undertaking समर्पित किया गया है अनु०-07
9	प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization letter in the name of applicant संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Authorization letter in the name of applicant संबंधी प्रमाण पत्र Upload कर दिया गया है, अनु०-08
10	ऑनलाईन प्रस्ताव में फार्म A पार्ट 1 में Area calculation statement अपलोड नहीं किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Area Calculation Statement, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु०-09
11	विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट-II में अंकित उल्लंघन मामले में 0.809 हे० वनभूमि का क्षेत्रफल शामिल है। लेकिन उक्त क्षेत्रफल सुरक्षित वनभूमि है अथवा जंगल-झाड़ी वनभूमि का किस्म है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।	पार्ट-II में अंकित 0.809 हे० वनभूमि उल्लंघन मामले में प्लॉट संख्या-59, 157 सुरक्षित वनभूमि है, एवं प्लॉट संख्या-60, 122 गैर अधिसूचित वनभूमि है। अनु०-11
12	Project is non-site specific	परिवेश पोर्टल पर Justification copy, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु०-10

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला से प्राप्त प्रस्ताव की 06 (छः) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० : प्रस्ताव की 06 (छः) प्रतियाँ।

आपका विश्वासी,



वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।
जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

e-mail- dfo-saraikeala@gov.in

Telefax No.06597-234891(O)



सेवा में,

पत्रांक : 2611 / सरायकेला

दिनांक : 02/12/2025

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय :

मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा सरायकेला वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-काण्डा स्थित एकीकृत स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 34.83 हे० (86.07 एकड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/JH/IND/116046/2020)

प्रसंग :

भवदीय का ज्ञापांक 1017 दिनांक 01.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सदर्थ में सूचित करना है कि विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा उनके पत्रांक 39 दिनांक 22.11.2025 द्वारा त्रुटियों को निराकरण प्रति प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत है :-

क्रमांक	पृच्छित विन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन
1	ऑनलाईन प्रस्ताव में वन प्रमंडल पदाधिकारी का Authenticated Land Schedule अपलोड नहीं किया गया है।	Authenticated Land Schedule परिवेश पोर्टल पर Upload कर दिया गया है, अनु०-12
2	ऑनलाईन प्रस्तावित वनभूमि का एरिया 34.83 हे० है, जबकि विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट 1 में Uploaded KML में lease area- 34.60 हे० है, दोनों में भिन्नता है।	अपयोजित होने वाले वनभूमि 34.83 हे० एरिया का KML File एवं GPS Co-ordinates परिवेश पोर्टल पर Upload कर दिया गया है, अनु०-01
3	ऑनलाईन प्रस्ताव विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट 1 में सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट के स्थान पर Vill Geo-Reference Map Uploaded किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Form-A में सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट Upload कर दिया गया है, अनु०-02
4	ऑनलाईन प्रस्ताव में Component wise breakup Uploaded नहीं किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Component wise breakup, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु०-03
5	ऑनलाईन प्रस्ताव में Uploaded Cost Benefit analysis file नहीं खुल रहा किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Uploaded Cost Benefit Analysis, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु०-04
6	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित मौजा-सलम का पैच 5.00 हे० से कम है, जो स्वीकार्य नहीं है।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित मौजा-सलम का रकबा-5 हे० से अधिक है। इस संदर्भ वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) निर्गत किया गया है अनु०-05



7	CO द्वारा समर्पित land schedule में प्रस्तावित कुछ भूमि खतियान में उपलब्ध नहीं है। साथ ही ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस संदर्भ में Undertaking समर्पित किया गया है अनु0-06
8	प्रस्ताव में संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत FRA Certificate & GM JJ NOC ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस संदर्भ में Undertaking समर्पित किया गया है अनु0-07
9	प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization letter in the name of applicant संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Authorization letter in the name of applicant संबंधी प्रमाण पत्र Upload कर दिया गया है, अनु0-08
10	ऑनलाईन प्रस्ताव में फार्म A पार्ट 1 में Area calculation statement अपलोड नहीं किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर Area Calculation Statement, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु0-09
11	विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट-II में अंकित उल्लंघन मामले में 0.809 हे० वनभूमि का क्षेत्रफल शामिल है। लेकिन उक्त क्षेत्रफल सुरक्षित वनभूमि है अथवा जंगल-झाड़ी वनभूमि का किस्म है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।	पार्ट-II में अंकित 0.809 हे० वनभूमि उल्लंघन मामले में प्लॉट संख्या-59, 157 सुरक्षित वनभूमि है, एवं प्लॉट संख्या-60, 122 गैर अधिसूचित वनभूमि है। अनु0-11
12	Project is non-site specific	परिवेश पोर्टल पर Justification copy, Additional document में Upload कर दिया गया है, अनु0-10

अतः प्रस्ताव में पाए गए त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव की 08 प्रतियाँ अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,

[Signature]
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राज्य वन प्रमण्डल।
[Signature]